केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC छात्रावास: प्रश्न और उत्तर का अंतर

शिक्षा / आरक्षण / उच्च शिक्षा वित्त | समाचार संदर्भ: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC छात्रावास पर लोक सभा उत्तर, 27 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

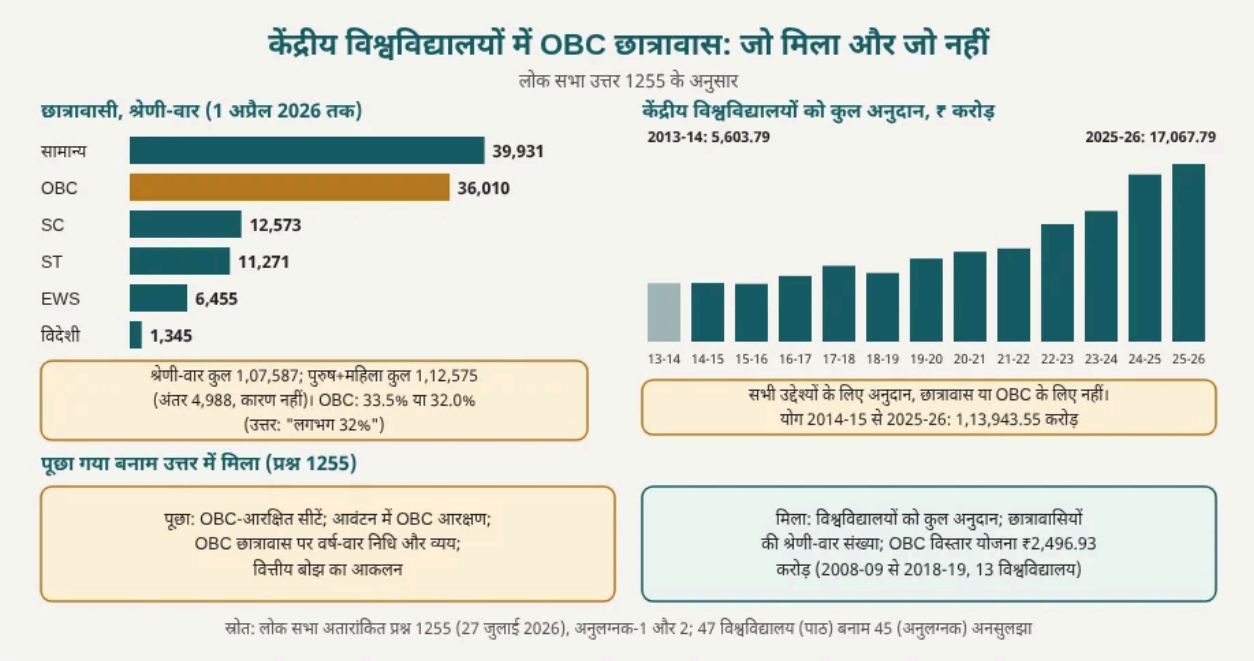
केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने-अपने अधिनियमों से स्वायत्त वैधानिक संस्थाएँ हैं और छात्रावास-आवंटन उनके वैधानिक निकायों के अनुमोदन से होता है। उत्तर के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 2008-09 से पाँच वर्ष के लिए “OBC विस्तार योजना” लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC के 27% आरक्षण के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाना बताया गया है।

खबरों में क्यों

27 जुलाई 2026 को शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने श्री राहुल गांधी के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1255 का उत्तर दिया। प्रश्न में हर केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रेणी-वार नामांकन, कुल और OBC के लिए आरक्षित छात्रावास-सीटें, छात्रावास-आवंटन में OBC आरक्षण, पिछले दस वर्षों में OBC छात्रावास के लिए वर्ष-वार निधि, तैयार क्षमता, व्यय और ठहराए गए छात्र, तथा छात्रावास न मिलने से वित्तीय बोझ का आकलन पूछा गया था। उत्तर के अनुसार 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 3,09,542 छात्र नामांकित हैं, छात्रावास का ब्योरा अनुलग्नक-1 में है और छात्रावासियों में लगभग 32% OBC श्रेणी के हैं।

मुख्य अवधारणा: जो पूछा गया, जो मिला और जो नहीं मिला

उत्तर में OBC-आरक्षित सीटों की संख्या, आवंटन-आरक्षण का ब्योरा, OBC छात्रावास पर वर्ष-वार निधि या व्यय और वित्तीय बोझ का आकलन अलग से नहीं है। जो निधि दी गई है, वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कुल अनुदान है, जिसे उत्तर के अनुसार विश्वविद्यालय शैक्षणिक, प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक ज़रूरतों के लिए अपनी प्राथमिकता से उपयोग करते हैं। यह छात्रावास या OBC के लिए निर्धारित राशि नहीं है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

छात्रावास (अनुलग्नक-1, 1 अप्रैल 2026 तक; कुल पंक्ति)	**657 छात्रावास, इनमें 292 कन्या छात्रावास; कुल निवासी (पुरुष 59,320 + महिला 53,255) 1,12,575।**
श्रेणी-वार निवासी (अनुलग्नक-1 की कुल पंक्ति)	सामान्य 39,931; SC 12,573; ST 11,271; OBC 36,010; EWS 6,455; विदेशी 1,345; ट्रांसजेंडर 2; श्रेणी-वार कुल 1,07,587; दिव्यांग (PwBD) 1,608।
OBC का हिस्सा	उत्तर में “लगभग 32%”। हमारी गणना: 36,010 ÷ 1,12,575 = 31.99%, पर 36,010 ÷ 1,07,587 = 33.5%; दोनों कुल उसी अनुलग्नक में हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान, ₹ करोड़ (अनुलग्नक-2)	2013-14: 5,603.79; 2014-15: 5,634.85; 2020-21: 8,639.08; 2024-25: 16,058.81; 2025-26: 17,067.79; 2014-15 से 2025-26 का योग 1,13,943.55 (हमारे जोड़ से मेल खाता है)। 2026-27 के लिए ₹17,440 करोड़ “आवंटित”।
OBC विस्तार योजना (उत्तर)	2008-09 से 2018-19 के बीच 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ₹2,496.93 करोड़ जारी; पाँच वर्ष की योजना, भवन-अनुदान का उपयोग-काल 31.03.2019 तक बढ़ा।

आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो अनसुलझा है

जो मेल खाता है (हमारी गणना): अनुलग्नक-2 के 2014-15 से 2025-26 के बारह वार्षिक आँकड़ों का योग 1,13,943.55 है, जो उत्तर और अनुलग्नक का कुल है। अनुलग्नक-1 में गैर-पूर्वोत्तर (491 छात्रावास) और पूर्वोत्तर (166) के उप-योग जुड़कर 657 बनते हैं; OBC निवासी 32,816 + 3,194 = 36,010।

जो अनसुलझा है: उसी अनुलग्नक में “कुल निवासी” (पुरुष + महिला) 1,12,575 हैं, पर श्रेणी-वार कुल 1,07,587 है, यानी 4,988 का अंतर; कारण नहीं बताया गया। इसी वजह से OBC हिस्सा 32% या 33.5% निकलता है। उत्तर के पाठ में 47 केंद्रीय

विश्वविद्यालय हैं, जबकि अनुलग्नक-1 में क्रम-संख्या 1 से 45 तक के विश्वविद्यालय हैं; इस अंतर का कारण भी नहीं दिया गया। कमरों में भी पुरुष 33,215 और कन्या 26,161 का जोड़ 59,376 है, जबकि कुल 59,405 लिखा है (अंतर 29)।

जो तुलनीय नहीं: 2026-27 का ₹17,440 करोड़ का आवंटन और 2025-26 का ₹17,067.79 करोड़ की जारी राशि अलग प्रकार की संख्याएँ हैं, इसलिए हम उनका अनुपात नहीं निकालते। इसी तरह ₹2,496.93 करोड़ की OBC विस्तार योजना और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुल अनुदान को एक पैमाने पर नहीं रखते।

महत्व: आरक्षण, क्षमता और आवास

आरक्षण और क्षमता का संबंध: OBC विस्तार योजना के उत्तर-पाठ का तर्क यह है कि आरक्षण लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ानी पड़ी। छात्रावास में आरक्षण लागू है या नहीं, यह प्रश्न (c) का भाग था; उत्तर में इसका सीधा उत्तर नहीं है, केवल यह कि आवंटन का निर्णय विश्वविद्यालय अपने वैधानिक निकायों के अनुमोदन से करते हैं।

सहायता के अलग साधन: उत्तर के अनुसार सरकार अनुदान और HEFA से छात्रावास सहित विश्वविद्यालय-अवसंरचना की मदद करती है; बजट 2026-27 में हर ज़िले में उच्च शिक्षा के STEM संस्थानों के कन्या छात्रावासों के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि/पूँजी सहायता की घोषणा बताई गई है। छात्रवृत्ति के लिए PM-YASASVI (पोस्ट-मैट्रिक और टॉप-क्लास कॉलेज शिक्षा घटक), SHREYAS-OBC (राष्ट्रीय फ़ेलोशिप, विदेशी शिक्षा के लिए ब्याज सब्सिडी), PM-USP और PM-विद्यालक्ष्मी का नाम लिया गया है; इनकी राशि या लाभार्थी-संख्या इस उत्तर में नहीं है।

श्रेणी-वार संख्या का मतलब: छात्रावासियों में OBC की संख्या (36,010) सामान्य (39,931) के बाद दूसरे स्थान पर है (हमारी तुलना, अनुलग्नक की कुल पंक्ति से)। पर यह नहीं बताता कि आवेदन कितने थे, सीटें कितनी आरक्षित थीं, या OBC छात्रों में से कितनों को छात्रावास नहीं मिला; इसलिए इसे पहुँच का माप नहीं माना जा सकता।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

जो उत्तर में नहीं है: प्रश्न में माँगे गए OBC-वार नामांकन, OBC के लिए आरक्षित सीटें, OBC छात्रावास पर वर्ष-वार निधि और व्यय, तैयार क्षमता, और वित्तीय बोझ का आकलन: ये उत्तर या अनुलग्नकों में नहीं हैं। अनुलग्नक-1 में श्रेणी-वार नामांकन भी नहीं है।

अनसुलझे बिंदु: 1,12,575 बनाम 1,07,587 का निवासी-अंतर; 47 बनाम 45 विश्वविद्यालय; कमरों का 29 का अंतर; OBC हिस्सा 32% बनाम 33.5%; और जारी अनुदान में छात्रावास का कितना भाग है।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1255 का आधिकारिक PDF (उत्तर और दोनों अनुलग्नक) पूरा पढ़ा। PM-YASASVI या अन्य योजनाओं के दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय-वार आवंटन-नियम के आँकड़े नहीं पढ़े।

आगे की राह

इसे 27 जुलाई 2026 तक की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; OBC-आरक्षित सीटों और छात्रावास पर निधि के लिए आगे की संसदीय या विश्वविद्यालय-स्तर की सूचना देखनी होगी।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) विश्वविद्यालयों को कुल अनुदान और छात्रावास या OBC के लिए निधि; (2) छात्रावासियों की श्रेणी-वार संख्या और OBC छात्रों की छात्रावास-पहुँच; (3) जारी राशि, आवंटन और OBC विस्तार योजना की राशि; (4) उत्तर के आँकड़े

और हमारी गणना।

मेंस दृष्टि

GS-II: कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएँ, शिक्षा, आरक्षण; GS-II: संसदीय उत्तरों से नीति-मूल्यांकन।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रावासियों की श्रेणी-वार संख्या और विश्वविद्यालयों को जारी कुल अनुदान से OBC छात्रों के आवास के बारे में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं? इसके मूल्यांकन के लिए कौन-से आँकड़े चाहिए?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: छात्रावास-आवंटन और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता।

मुख्य भाग में: श्रेणी-वार निवासियों का ब्योरा और OBC हिस्सा (32% बनाम 33.5%); कुल अनुदान और OBC-विशिष्ट निधि का फ़र्क; OBC विस्तार योजना और छात्रवृत्ति-साधन; अनसुलझे अंतर; आवश्यक आँकड़े (आरक्षित सीट, आवेदन, प्रतीक्षा-सूची)।

निष्कर्ष में: छात्रावासियों में OBC हिस्से और कुल विश्वविद्यालय अनुदान से OBC छात्रों की आवास-ज़रूरत पूरी होने का निष्कर्ष न दें; आरक्षित सीटें, आवेदन और प्रतीक्षा-सूची स्पष्ट करके पहुँच का मूल्यांकन करें।

स्रोत

- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1255 और उत्तर, 27.07.2026 (संसद का आधिकारिक PDF; अनुलग्नक-1 और 2)

स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1255 का आधिकारिक पाठ, अनुलग्नक-1 (छात्रावास, 1 अप्रैल 2026 तक) और अनुलग्नक-2 (अनुदान) पूरे पढ़े गए। योजनाओं के दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय-वार आवंटन-नियम के आँकड़े नहीं पढ़े गए।

याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में OBC निवासी 36,010 हैं (उत्तर में “लगभग 32%”; हमारी गणना 32.0% या 33.5%, कुल की पसंद पर निर्भर), और 2014-15 से 2025-26 तक विश्वविद्यालयों को ₹1,13,943.55 करोड़ अनुदान जारी हुआ; पर वह कुल अनुदान है, OBC या छात्रावास के लिए नहीं, और OBC-आरक्षित सीटों, आवंटन-आरक्षण तथा निधि का ब्योरा उत्तर में नहीं है।